प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 14.10.2024

- ❖ **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेन्स की नीति के क्रम में की जा रही प्रभावी कार्यवाही।**
- ❖ **बिना अनुमति दंगल आयोजित करने व उक्त दंगल में शामिल पहलवान के साथ मारपीट करने पर थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुये की गयी प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आम जनमानस में कम्यूनिटी पुलिसिंग व जीरो टॉलरेन्स की नीति के क्रम में, दिनांक 12.10.2024 को आवेदक/पहलवान श्री अजीत सिंह पुत्र श्री त्रिभुवन सिंह निवासी ग्राम जसापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के साथ बिना अनुमति आयोजित दंगल में लोगों द्वारा मारपीट आदि करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर दिनांक 13.10.2024 को मु0अ0सं0 261/2024 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(3)/125/223 बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उक्त घटना के क्रम में थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. पवन गुप्ता पुत्र योगेश गुप्ता उम्र 32 वर्ष 2. अन्तू गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता उम्र 28 वर्ष 3. राघव गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता उम्र 24 वर्ष निवासीगण धर्मपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 14.10.2024 को गिरफ्तार कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सराहनीय कार्य करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कौशल कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. हे0कां0 संजीव कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3. हे0कां0 प्रदीप कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात